आदरणीय पुलिस महानिदेशक, बिहार श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय जी,
आज की बैठक में पधारे बिहार पुलिस के वरीय पदाधिकारीगण
विभिन्न व्यवसायिक संगठनों के पदाधिकारीगण
चैम्बर के सदस्यगण तथा
प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया के मित्रों

आज के मुख्य अतिथि राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय जी के साथ आयोजित बैठक में पधारे आपसभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूॅ ।

मैं पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय जी का विशेष रूप से हार्दिक स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूॅ कि अपने व्यस्त्तम समय में से समय निकालकर हमारे बीच पधारने की कृपा की है । आज के इस कार्यक्रम में पधारे पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूॅ ।

महोदय, हम कोटि–कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने आश्वस्त किया है कि पुलिस की कार्यशैली व अपराध नियंत्रण में जनता को 8 दिनों में परिवर्तन महसूस होने लगेगा । इसी क्रम में आपने सभी पुलिस अधीक्षक को निम्नांकित दिशा–निर्देश भी दिया है :–

- अधिकाधिक लोगों से मिलकर उनका फीडबैंक लें एवं आम जनता में जो पुलिस की छवि हैं उसे और बेहतर बनावें ।
- रात्रि पेट्रोलिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए ।
- ज्यादा घटना वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए ।
- निर्धारित समय के अन्दर जॉच का निपटारा किया जाए ।

इससे पुलिस प्रशासन को और बेहतर बनाने की आपकी भावी कार्य योजना की झलक मिलती है ।

क्रमशः 2

महोदय, हम आपका कृपापूर्ण ध्यान दिनांक 24 जनवरी 2019 को राज्य के व्यवसाय एवं उद्योग संचालकों की सुरक्षा हेतु मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में हुई बैठक की ओर ध्यान दिलाना चाहेंगे जिसमें गृह प्रधान सचिव तथा तत्कालीन पुलिस महानिदेशक सहित अन्य वरीय पदाधिकारी के साथ–साथ राज्य के उद्योग एवं व्यापार के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । उक्त बैठक में रखे गये बिन्दु तथा उस पर लिये गये निर्णय इस प्रकार थे :–

– उद्यमियों एवं व्यवसायियों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए राज्य में अवस्थित औद्योगिक क्षेत्र एवं प्रांगण के साथ–साथ जिन क्षेत्रों में उद्योग व्यवसाय कलस्टर के रूप में विकसित हैं वहॉ अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करना तथा पुलिस चेक पोस्ट की स्थापना – बैठक में बताया गया था कि औद्योगिक क्षेत्रों में जिन जगहों में उद्योग एवं व्यवसाय कलस्टर के रूप में विकसित है वहॉ पोलिसिंग की व्यवस्था की जाएगी । जिन क्षेत्रों में स्थायी नाका एवं थाना नहीं है वहॉ के लिए यह आश्वासन दिया गया था कि यदि रहने की व्यवस्था करायी जाय तो 1:4 स्तर की पुलिस बल उपलब्ध करायी जा सकती है ।

आपसे आग्रह है कि इसका कार्यान्वयन कराने की कृपा की जाए ।

– राज्य के औद्योगिक उपक्रमों की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की भांति औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किए जाने के संबंध में जानकारी दी गयी कि बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन का निर्णय किया जा चुका है जिसमें कर्मियों की नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ी है ।

आपसे आग्रह है कि इसका कार्यान्वयन कराने की कृपा की जाए ।

– उद्यमियों को सशस्त्र अंग रक्षक उपलब्ध कराने की मांग पर यह जानकारी दी गयी कि जिन उद्यमियों को सरुक्षा की आवश्यकता हो वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण विवरणी के साथ पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा के पास आवेदन करें । विशेष परिस्थिति में जिला के पुलिस अधीक्षक को भी यह अधिकार प्राप्त है कि आवश्यकतानुसार किसी व्यक्ति को दो माह के लिए संशस्त्र अंग रक्षक प्रदान कर सकते हैं ।

क्रमशः 3

आपसे आग्रह है कि इसका कार्यान्वयन कराने की कृपा की जाए ।

– उद्योग एवं व्यवसाय से जुड़ी आपराधिक घटनाओं में संलिप्त अपराधियों को सपीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने के संबंध में बताया गया कि विशेष अपराधिक घटना के ंअतिम अन्जाम तक ले जाने के लिए आवश्यकतानुसार स्पीडी ट्रायल कराया जा सकता है ।

– उद्यमियों एवं व्यवसायियों को उनकी मांग पर आर्म लाइसेंस उपलब्ध कराने की मांग पर यह जानकारी दी गयी कि आर्म लाइसेंस देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसमें आवश्यक ट्रेनिंग का प्रावधान है । प्रक्रिया बदलाव/छूट या ट्रेनिंग के लिए राज्य सरकार की ओर से केन्द्र को प्रस्ताव भेजा गया है, जो अभी तक लम्बित है ।

आपसे आग्रह है कि इसका कार्यान्वयन कराया जाना चाहिए ।

– **बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक दो महीने में कम से कम एक बार अपने क्षेत्र के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के साथ एक बैठक अवश्य करेंगे । इसके लिए पुलिस मुख्यालय से प्रत्येक जिला के पुलिस अधीक्षक को दिशानिर्देश भेजा जायेगा । यदि बैठक में समस्या का निष्पादन नहीं होता है तो उद्यमी एवं व्यवसायी पुलिस मुख्यालय में अपना प्रतिवेदन भेजें ।**

– बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, गृह विभाग की अध्यक्षता में प्रत्येक तीन माह पर एक समीक्षात्मक बैठक होगी, जिसमें लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन एवं सुरक्षा से संबंधित अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी ।

<u>नियमित बैठक की व्यवस्था</u> :–

महोदय उपरोक्त के आलोक में हम चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न जिलों में अवस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अन्य व्यापारिक संगठनों के साथ नियमित आधार पर बैठकें आयोजित करने का दिशा–निदेर्श दिया जाए ।

क्रमशः 4

बड़े पुलिस थानों के अर्न्तगत ज्यादा पुलिस आउट पोस्ट की स्थापना :–

पटना शहर में गॉधी मैदान, कदमकुऑ, पीरबहोर, पाटलिपुत्रा, बुद्धा कोलोनी, कंकड़बाग, आलमगंज, सुल्तानगंज, खाजेकला, सिटी चौक जैसे थानों का अधिकार क्षेत्र बहुत बड़ा है । इसलिए इन थानों में पुलिस प्रशासन को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिये इनके अर्न्तगत ज्यादा आउट पोस्ट स्थापित करने की आवश्यकता है । जजेज कोर्ट रोड में भी एक पुलिस आउट पोस्ट स्थापित किया जाना चाहिये ।

दुपहिया वाहन पर पेट्रोलिंग :–

दुपहिया वाहन पर पेट्रोलिंग अत्यन्त प्रभावी होती है । हाल के दिनों में दुपहिया वाहन से पेट्रोलिंग आरंभ तो की गयी है परन्तु यहाँ की संकीर्ण गलियों की अधिकता को देखते हुए उनकी संख्या को बढ़ाने एवं उसे और कारगर बनाने की आवश्यकता है तथा दुपहिया वाहन के जरिये अधिक से अधिक पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने की जरूरत है ।

अद्यतन तकनीक से पुलिस बल का आधुनिकीकरण :–

पुलिस बल को अति आधुनिक हथियार, सूचना तकनीक एवं आधुनिक इलेक्ट्रोनिक उपकरणों से सुसज्जीत करना नितान्त आवश्यक है । अद्यतन सूचना तकनीक के उपकरण पुलिस प्रशासन को अपराध पर नियंत्रण में बड़ी सहायता पहुॅचा सकती है । पुलिस स्टेशनों को और आधुनिक बनाने की आवश्यकता है ।

निजी वाहनों की जॉच

– बिहार में पूर्ण शराब बंदी के बाद अवैध व्यवसाय में लगे लोगों पर नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा निजी वाहनों का जॉच किया जाता है । लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जिस निजी वाहन में आपत्तिजनक वस्तु नहीं प्राप्त होता है उस वाहन को भी केवल नकद रूपया ले जाने के कारण रोक कर परेशान किया जाता है ।

आपको विदित है कि व्यवसायी को विभिन्न उद्देश्यों यथा– माल खरीदने, बेचने, बैंक में जमा करने या बैंक से निकासी के क्रम में अपने निजी वाहन से नकद लेकर आवागमन

क्रमशः 5

किया जाना आवश्यक होता है । अतः इस संबंध में आपके स्तर से स्पष्टीकरण चाहेंगे कि कौन सा कागजात साथ रखना आवश्यक है जिससे कि व्यवसायी परेशानी से बच सकें ।

<u>व्यापारिक अवधि में पेट्रोलिंग में वृद्धि</u> :—

व्यापारिक अवधि में पेट्रोलिंग बढ़ाया जाना चाहिए तथा व्यापारियों एवं उद्यमियों के लिए पुलिस विभाग में एक विशेष विंग की स्थापना किया जाना चाहिए । यह देखा गया है कि व्यापारिक स्थानों में व्यापारिक अवधि में ही अपराध घटित होते हैं, इसलिए हमारा सुझाव है कि व्यापारिक अवधि में पेट्रोलिंग बढ़ाया जाना चाहिए । साथ ही पुलिस विभाग में व्यवसायियों के लिए एक विशेष विंग की स्थापना की जानी चाहिए जिससे उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा सके ।

आज के परिवेश में अपराध पर अंकुश लगाने में CCTV की भी काफी अहम भूमिका है। इसे अधिक से अधिक सघन व्यापारिक स्थलों यथा सब्जीबाग, हथुआ मार्केट, पटना मार्केट, एक्जीविशन रोड, फ्रेजर रोड, न्यू मार्केट आदि प्रमुख व्यवसायिक स्थलों पर CCTV लगाया जाना आवश्यक है । पुलिस प्रशासन को अपराध के उदभेदन में CCTV का उपयोग से काफी सफलता मिली है । बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने भी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कहा है कि अपने—अपने प्रतिष्ठानों में CCTV अवश्य लगावें और जिन व्यवसायियों का प्रतिष्ठान रोड के किनारे है वे रोड साइड में भी एक—दो कैमरा अवश्य लगाएं ।

<u>Noise Pollution के नियंत्रण हेतु</u>

— Noise Pollution को नियंत्रित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार रात 10 बजे के बाद Loudspeaker एवं बैण्ड—बाजा बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है अतः इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

क्रमशः 6

इस संबंध में हमारा सुझाव होगा कि जितने भी Community Hall, Hotel एवं विवाह स्थल हैं उनमें स्थानीय थाना के Mobile Number एवं Telephone Number के साथ इस आशय का बोर्ड लगाया जाना चाहिए जिससे कि रात 10 बजे के बाद इसे रोका जा सके ।

— MVI Act के अनुसार गाड़ियों में अधिकतम 80 डिसिवल की ध्वनि वाले हार्न का उपयोग करना निर्धारित किया गया है लेकिन लोगों द्वारा अधिक ध्वनि वाला हार्न का उपयोग किया जा रहा है। अत: इसे नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है।

<u>ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के सुझाव</u> :—

— ट्रैफिक की समस्या केवल पुलिस प्रशासन से ही संबंधित नहीं है बल्कि इसमें कई विभागों की भागीदारी होती है इसलिए हमारा सुझाव है कि सरकार के स्तर पर ऐसा प्रस्ताव रखा जाए कि सभी संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों की एक कमिटी बनाकर संयुक्त रूप से पहल किया जाए तथा एक ठोस कार्य योजना बनायी जाए । साथ ही साथ संपूर्ण राज्य में बढ़ती जनसंख्या, वाहनों का दबाव एवं संकरी सड़कों के कारण ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या बन गयी है । इस सन्दर्भ में हमारा निवेदन होगा कि ट्रैफिक पुलिस के पास आधुनिक उपकरण प्रचूर मात्रा में उपलब्ध कराया जाए । साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस की संख्या में भी अपेक्षित वृद्धि करना आवश्यक है ।

— पटना के अधिकांश सड़को को One way करके ही ट्रैफिक व्यवस्था में आमूल—चूल सुधार हो सकता है ।

— रोड के साईड में अनाधिकृत वेंडरों के कारण भी यातायात में कठिनाई होती है अत: यातायात को सहज बनाने हेतु अनाधिकृत वेंडरों को हटाया जाना चाहिए ।

क्रमशः 7

— बिहार में मुम्बई के तर्ज पर ट्राफिक ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट का प्रस्ताव एक स्वागतयोग्य निर्णय है ।

अतिक्रमण से संबंधित सुझाव :—

पटना में अतिक्रमण एक प्रमुख समस्या है उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । विशेषकर हम आपका ध्यान पटना के प्राचीन मार्केट हथुआ मार्केट में अतिक्रमण की ओर दिलाना चाहेंगे जो एक गंभीर समस्या बन गई है । यदि इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया तो इस मार्केट की महत्ता समाप्त हो जाएगी क्योंकि जाम के कारण काफी लोग चाहकर भी इस मार्केट में आने से घबड़ाते हैं ।

साईबर अपराध के संबंध में :—

महोदय सूचना तकनीक के बढ़ने से साईबर अपराध भी लगातार बढ़ने की सूचना प्राप्त हो रही है । अत: आग्रह है कि इससे संबंधित कार्रवाई के लिए समुचित व्यवस्था की जाए साथ ही इसकी सूचना एवं शिकायत की क्या प्रक्रिया होगी इस संबंध में बड़े पैमाने पर प्रचार—प्रसार कराया जाना चाहिए ।

अन्य सुझाव

— राज्य के अधिकतर थाने का भवन काफी जर्जर अवस्था में है उसके नवनीकरण कराये जाने की आवश्यकता है। इससे वहाँ काम करने वाले पुलिस पदाधिकारियों का मनोबल भी उँचा होगा।

— राज्य के थानों में पेट्रोलिंग के लिए उपयोग में आने वाली गाड़ियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है जिससे की उनको उपयोगी बनाकर रखा जा सके।

पटना
07 फरवरी 2019